न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला- पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 08/2014

वादीगण :-

1. पारसनाथ पुत्र तेजनाथ
   जाति-नाथ, निवासी-लौटोती
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. देवाराम पुत्र मांगुराम
2. आसुराम पुत्र मांगुराम
3. पुसाराम पुत्र मांगुराम
4. ओगड़राम पुत्र मांगुराम
5. केलकी देवी पत्नी मांगुराम
6. रतनी देवी पुत्री मांगुराम
7. रेवत पुत्र प्रभु के का0मु0
   7/1 दुर्गाराम पुत्र रेवत
   7/2 रूपाराम पुत्र रेवतराम
   7/3 बिदामीदेवी बेवा रेवतराम
   7/4 भीकी देवी पुत्री रेवतराम
   7/5 कुकी देवी पुत्री रेवतराम
   7/6 सामुदेवी पुत्री रेवतराम
   7/7 तिजाई पुत्री रेवतराम
8. मंगलाराम पुत्र प्रभु
   सभी जातियान-कुम्हार
9. गोपालसिंह पुत्र जयसिंह
   जाति-राजपूत सभी
   निवासीगण-लौटोती
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
10. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर
    तहसीलदार, जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.06.01.2014**

उपस्थितः- 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुगनचन्द सतनामी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 25/05/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा किस्म बा0अ0 वाके हैं। उक्त कृषि भूमि पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित सहिस्सेदारी व सखातेदारी की है। नकल जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की साथ पेश की है। उक्त कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हो रखा हैं। पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। नक्शा ट्रेस विवादित कृषि भूमि का प्रमाणित साथ पेश है जिसमें भी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा नही हो रखा है, साबित है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा में वादी का 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी गोपालसिंह का 1/8 हिस्सा हैं। इस प्रकार से पक्षकारान् मना-गना अपने हिस्से अनुसार काश्त करते है। वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि में उन्नत तरीके के खाद-बिज डालकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने हेतु वितिय संस्था बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता हैं। किन्तु प्रतिवादीगण इसमें सहयोग नही करते है और वितिय संस्था बैंक भी अन्य सहिस्सेदार-सहखातेदार की सहमति बिना ऋण नहीं देती है। इसलिए वादी के लिए तकासमा आराजी का वाद ही उतम रेमेडी है। इसलिये वादी तकासमा आराजी हेतु यह वाद पेश कर रहा है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर अलग-अलग खाते पक्षकारान के खोलें जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी कर नेखमबंदी की जाकर मौका अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें एवं लगान का बंटवाडा भी किया जावें। इस आशय की तकासमा की डिक्री हेतु यह वादं पेश किया है। वाद तकासमा आराजी की दादरसी हेतु पेश किया हैं। इसलिये राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण को पक्षकार प्रतिवादी बनाकर यह वाद पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 20/12/2013 को जब प्रतिवादीगण को वादी द्वारा वितिय संस्था बैंक से ऋण लेने हेतु सहमति का कहा तो उनके द्वारा मना करने पर एंव उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस का कराने से प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर बमुकाम लौटोती तहसील जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सुगनचन्द सतनामी अधिवक्ता ने दिनांक 10/02/2014 को वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज दिनांक 25/05/2015 राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - लौटोती में मुकर्रर होकर पेश हुई। वादी स्वयं एवं प्रतिवादीगण उपस्थित आए, उपस्थित प्रति0 ने व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा पेश करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रति0 का जबाबदावा बन्द किया गया। चूँकि वादी विवादित भूमि के स्वयं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2069-2072 अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं, जिससे वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया गया हैं कि उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर विभाजन प्रस्ताव/बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने उभय पक्षकारानों का जरिए राजीनामा फर्द मौका मय नजरी नक्शा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों ने बंटवाड़ा करके विभाजन / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया, जो सामिल मिसल किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गया। उक्त बंटवाड़ा / विभाजन पर वादी तथा प्रति0 ने राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकारोक्ति दी हैं अर्थात् कोई आपति नहीं कर राजीनामा / सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक सहमति राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 25/05/2015 वाद वादी डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारान में बंटवाड़ा किया जाना हम उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–लौटोती, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा किस्म बा0अ0 भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	देवाराम आसुराम पुसाराम ओगड़राम पि0 मांगूराम केलकीदेवी पत्नि मांगूराम रतनीदेवी पुत्री मांगूराम कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार।	41	2-16-00	बा0अ0
2	दुर्गाराम रूपाराम पि0 रेवत बिदामीदेवी पत्नि रेवत भीकीदेवी कुकीदेवी सानुदेवी तिजाई पुत्रियाँ रेवत कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार।	41/1	2-16-00	बा0अ0
3	मंगलराम पुत्र प्रभूराम कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार।	41/2	2-15-00	बा0अ0
4	गोपालसिंह पुत्र जयसिंह कौम–राजपूत सा0 देह खातेदार।	41/3	1-01-00	बा0अ0
5	पारसनाथ पुत्र तेजनाथ कौम–नाथ सा0 देह खातेदार।	41/4	7-06-00	बा0अ0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–लौटोती पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner